अनुलग्नक-I

एनबीसीसी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कार्य संचालन और नैतिक कर्त्तव्य संहिता

1.0 परिचय

1.1 इस संहिता को नेशनल बिलर्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटिड (जिसे बाद में 'कंपनी' कहा गया है) के "बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कार्य संचालन और नैतिक कर्त्तव्य संहिता" कहा जाएगा।

1.2 इस संहिता का प्रयोजन कंपनी के कार्यों के प्रबंधन में नैतिक कर्त्तव्य और पारदर्शी प्रक्रिया को बढावा देना है।

1.3 बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए यह संहिता विशेष रूप से स्टाक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 के प्रावधानों के अनुपालन में और डीपीई के दिशा निर्देशों के अनुसार निरूपित की गई है।

1.4 यह 14.3.2011 से प्रवृत्त होगी।

2.0 परिभाषा और व्याख्या :

2.1 "बोर्ड सदस्यों" शब्दों से तात्पर्य कंपनी के निदेशक मंडल के निदेशकों से है।

2.2 "पूर्णकालिक निदेशकों" अथवा "कार्यात्मक निदेशकों" से तात्पर्य कंपनी के निदेशक मंडल के उन निदेशकों से है, जो कंपनी में पूर्णकालिक रूप से नियोजित हैं।

2.3 "अंशकालिक निदेशकों" शब्दों से तात्पर्य कंपनी के निदेशक मंडल के उन निदेशकों से है, जो कंपनी में पूर्णकालिक रूप से नियोजित नहीं हैं।

2.4 "संबंधी" शब्द से तात्पर्य कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 6 में यथा परिभाषित अर्थ से होगा।

2.5 "वरिष्ठ प्रबंधन" से तात्पर्य कंपनी के उन कार्मिकों से है, जो निदेशक मंडल को छोड़कर इसके महत्वपूर्ण प्रबंधन दल के सदस्य हैं और सभी कार्यात्मक प्रधानों सहित प्रबंधन के मंडल में सम्मिलित होते हुए उनका स्तर पूर्णकालिक निदेशकों के स्तर से एक स्तर कम होगा।

2.6 "कंपनी" से तात्पर्य नेशनल बिलर्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड से होगा।

टिप्पणी: इस कोड में पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द तथा एकवचन शब्दों में बहुवचन शब्द अथवा विलोमत: शामिल हैं।

3.0 प्रयोजनीयता

3.1 यह संहिता निम्नलिखित कार्मिकों पर लागू होगी:

क) सभी पूर्णकालिक निदेशक, जिनमें कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सम्मिलित हैं।

ख) सभी अंशकालिक निदेशक, जिनमें विधि में किए गए प्रावधान के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक सम्मिलित हैं।

ग) वरिष्ठ प्रबंधन

3.2 पूर्णकालिक निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी की अन्य लागू/प्रयोजनीय नीतियों, नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते रहेंगे।

4.0 संहिता के विषय

भाग I सामान्य अत्यावश्यक नैतिक कर्तव्य

भाग II विशिष्ट व्यावसायिक उत्तरदायित्व

भाग III बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान

भाग IV स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्य

इस संहिता का आशय व्यावसायिक कार्यों के संचालन में नैतिक निर्णय (कर्तव्य) करने के लिए एक आधार के रूप में कार्य करना है। यह व्यावसायिक नैतिक कर्तव्य मानकों के उल्लंघन से किसी औपचारिक शिकायत की गुणवत्ता का निर्णय करने के लिए भी आधार के रूप में कार्य करेगी।

यह समझा जाता है कि कर्तव्य और आचरण दस्तावेज की संहिता में आए कुछ शब्दों और वाक्यों की व्याख्या करने की आवश्यकता है। किसी विवाद के मामले में, बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

भाग – I

5.0 सामान्य अत्यावश्यक नैतिक कर्तव्य

5.1 सोसायटी और मानव कल्याण के लिए योगदान

5.1.1 सभी लोगों के जीवन गुणवत्ता से संबंधित यह सिद्धांत इस उत्तरदायित्व का संवहन करता है कि मूलभूत मानव अधिकारों का संरक्षण हो और सभी विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान हो। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि यह सुनिश्चित करें कि हमारे प्रयासों के प्रतिफलों को सामाजिक उत्तरदायित्वों के जरिए इस्तेमाल किया जाएगा, वे सामाजिक जरुरतों को पूरा करेंगे और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले प्रभावों का निराकरण होगा तथा अन्यों के कल्याण को बढावा दिया जाएगा। सुरक्षित सामाजिक पर्यावरण के अतिरिक्त, मानव के कल्याण में सुरक्षित प्राकृतिक पर्यावरण सम्मिलित है।

5.1.2 इसलिए, सभी बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन, जो कंपनी के उत्पाद के अभिकल्प, विकास, निर्माण और प्रोत्साहन के लिए उत्तरदायी हैं, को सदैव सर्तक रहने और अन्य को भी सतर्क करते रहने की जरुरत है, ये दोनों ही बातें ऐसी हैं जिनके लिए मानव जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है।

5.2 ईमानदार और विश्वसनीय बनें और सत्यनिष्ठा का व्यवहार करें

5.2.1 सत्यनिष्ठा और ईमानदारी विश्वास के अनिवार्य घटक हैं। बिना विश्वास के कोई भी संगठन प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकता।

5.2.2 बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन से यह आशा की जाती है कि कंपनी के कार्यों का वैयक्तिक एवं व्यावसायिक एकीकरण, ईमानदारी और नैतिक कर्तव्य से युक्त आचरण के अन्य मानकों के अनुसार कार्य करेंगे।

5.3 निष्पक्ष रहें और की जाने वाली कार्रवाई भेदभाव पूर्ण न हो

5.3.1 समानता, सहिष्णुता, अन्यों के लिए सम्मान और निष्पक्षता तथा न्याय का सिद्धांत इस अनिवार्यता को विनियमित करती है। रंग, लिंग, धर्म, जाति, आयु, विकलांगता, राष्ट्रीय मूल अथवा अन्य ऐसे कारकों, के आधार पर भेदभाव इस संहिता के स्पष्ट उल्लंघन हैं।

5.4 गोपनीयता का सम्मान

5.4.1 ईमानदारी के सिद्धांतों का विस्तार, सूचना की गोपनीयता के मामलों तक होता है। नैतिक कर्तव्यों में सभी हितधारियों के प्रति गोपनीयता के सभी उत्तरदायित्वों का सम्मान करने की चिंता होती है, जब तक कि विधि अथवा इस संहिता के अन्य सिद्धांतों की अपेक्षाओं के द्वारा, ऐसे दायित्वों से विमुख न किया गया हो।

5.4.2 इसलिए, सभी बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन सीपीएसई के व्यापार और कार्यों के बारे में सभी गोपनीय अप्रकाशित सूचना के संबंध में गोपनीयता बनाए रखेंगे।

5.5 शपथ एवं व्यवहार

5.5.1 गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में एकीकरण और पारदर्शिता लाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहना।

5.5.2 जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए उत्साहपूर्ण तरीके से कार्य करना

5.5.3 कंपनी के विकास एवं प्रतिष्ठा के प्रति सदैव सतर्क एवं कार्यरत रहना।

5.5.4 संगठन को प्रतिष्ठा दिलाना और कंपनी के हितधारियों के प्रति मूल्य आधारित सेवाएं प्रदान करना

5.5.5 भयमुक्त होकर एवं पक्षपात रहित होकर सदविवेक से कर्तव्य निभाना

भाग II

6.0 विशिष्ट व्यावसायिक उत्तरदायित्व

6.1 सीपीएसई की संकल्पना, उद्देश्य और मूल्यों को याद रखें – हर दिन

हर दिन नेशनल बिलडिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटिड की संकल्पना, उद्देश्य और मूल्यों को सदैव याद रखें। तुरन्त संदर्भ के लिए ये इस प्रकार हैं:

संकल्पना (विजन)

हमारी संकल्पना यह है कि निर्माण सेवा कंपनी के रूप में हमें व्यापकता के साथ पसंद किया जाए और हमें प्राथमिकता प्राप्त हो।

उद्देश्य (मिशन)

ग्राहकों को ऐसे व्यावहारिक, सुरक्षित, नव-प्रवर्तनीय स्वरुप के और लागत-प्रभावी निर्माण उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति करना जिससे उनकी आवश्यकताएँ पूरी होती हों और इसके साथ-साथ आवश्यक सहायक अवसंरचना उपलब्ध कराना।

हमारे ग्राहकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों और अन्य हितधारियों के कल्याण के लिए वातावरण बनाने एवं बढावा देने के लिए हमारे उत्तरदायित्व को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय समृद्धि में योगदान करने के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व को ढंग से निभाना।

प्रतियोगी लाभ अर्जित करने के लिए निर्माण सेवाओं और संबंधित गतिविधियों तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में सर्वोत्तम पद्धतियों का विकास करने और उसे अपनाते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त करना।

लागत और आयोजना इष्टतमीकरण एवं प्रभावी जोखिम प्रबंधन के माध्यम से पारियोजनाओं को महत्व देना।

संविदा और निर्माण सेवाओं के क्षेत्र में भारत सरकार की प्रथम दर्जे की कंपनी के रुप में हमारी प्रतिष्ठा की स्थिति को कायम रखना।

मूल्य

- ✓ उत्कृष्टता के लिए उत्साह और परिवर्तन के प्रति अभिरुचि
- ✓ सभी मामलों में एकनिष्ठ और निष्पक्षता
- ✓ व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और समर्थता का सम्मान

- ✓ वचनबद्धता का दृढतापूर्वक अनुपालन
- ✓ तुरन्त प्रतिक्रिया का सुनिश्चय
- ✓ ज्ञान, सृजनशीलता और दल-निष्ठा का पोषण
- ✓ कंपनी में निष्ठा और गर्व

6.1 **व्यावसायिक कार्यों की प्रक्रियाओं और उत्पादों, दोनों में उच्च गुणवत्ता, प्रभावकारिता और प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए प्रयास :** उत्कृष्टता किसी व्यावसायिक का संभवत: सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। इसलिए, सभी को अपने व्यावसायिक कार्य में उच्च स्तर की गुणवत्ता, प्रभावकारिता और प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए।

6.2 **व्यावसायिक सक्षमता अर्जित करना और उसे बनाए रखना:** उत्कृष्टता उन व्यक्तियों पर निर्भर करती है जो व्यावसायिक सक्षमता को अर्जित करने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। इसलिए, सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सक्षमता के उपयुक्त स्तरों के लिए मानक निर्धारित करने के लिए सहयोग करें और उन मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहें।

6.3 विधियों का अनुपालन: कंपनी के बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन विद्यमान, स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के लागू प्रावधानों का पालन करेंगे। वे सीपीएसई के व्यापार से संबंधित नीतियों, प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों का भी पालन करेंगे।

6.4 उपयुक्त व्यावसायिक समीक्षा स्वीकार करना और उपलब्ध कराना: व्यावसायिक कार्यों की गुणवत्ता, व्यावसायिक समीक्षाओं और टिप्पणियों पर निर्भर करती है। जब कभी उपयुक्त प्रतीत होता है, व्यक्ति सदस्यों को प्रकट समीक्षा प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए और उसका उपयोग किया जाना चाहिए और इसके साथ-साथ उनके कार्यों के संबंध में आलोचनात्मक स्वरूप की समीक्षा उपलब्ध करानी चाहिए।

6.5 कार्य करने के कालावधि की गुणवत्ता को बढाने के लिए कार्मिक और संसाधनों की व्यवस्था: संगठन का नेतृत्व करने वाले इस बात के लिए उत्तरदायी होते हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि साथी कर्मचारियों के साथ कार्य करने और व्यवसाय करने के लिए एक प्रेरक वातावरण का निर्माण हो ताकि वे अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ कार्य सम्पन्न कर सकें। बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन सभी कर्मचारियों के मानवीय सम्मान के सुनिश्चय के लिए उत्तरदायी होंगे, वे सभी आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान करते हुए सीपीएसई के कर्मचारियों को व्यावसायिक विकास के लिए प्रेरित करेंगे और सहयोग प्रदान करेंगे। इससे कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

6.6 **ईमानदार बनें और किसी भी प्रकार के प्रलोभन से बचें:** बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से अपने परिवार और अन्य संबंधियों के माध्यम से कंपनी के साथ होने वाले लेन-देन से प्रोद्भूत व्यक्तिगत शुल्क, कमीशन अथवा अन्य प्रकार के भुगतान के लिए आग्रह नहीं करेंगे। इसमें संगठन के लिए व्यापार को प्रभावित करने के लिए अथवा किसी एजेंसी को कोई ठेका दिलवाने के लिए मूल्यवान उपहार अथवा अन्य लाभ आदि ग्रहण करना सम्मिलित हैं ।

6.7 **कोरपोरेट के अनुशासन को मानना:** कंपनी के भीतर बातचीत करने पर कोई मनाही नहीं है और लोग सभी स्तरों पर अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। यद्यपि, किसी निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया के दौरान मत प्रकट करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है लेकिन विचार-विमर्श के पश्चात और नीति के संबंध में एकमत होने के बाद, सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इसका पालन करेंगे और कतिपय मामलों में हो सकता है कि वैयक्तिगत स्तर पर कोई इससे सहमत न हो। कुछ मामलों में, कार्रवाई करने के संबंध में नीतियां, दिशा-निर्देशों का कार्य करती हैं। अन्य मामलों में, उन्हें किसी कार्रवाई को बाधित करने के लिए निरुपित किया जाता है। सभी को इस अंतर को समझना होगा और यह मानना होगा कि इनके अनुपालन की आवश्यकता क्यों होती है।

6.8 **इस प्रकार का आचरण करना जिससे कंपनी को श्रेय मिले:** सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे चाहे ड्यूटी पर हों अथवा न हों, इस प्रकार कार्य करें जिससे कंपनी को श्रेय मिले। संगठन के भीतर लोगों द्वारा महसूस किए जाने वाले उनके व्यक्तिगत व्यवहार और आचरण के परिणामस्वरूप ही कंपनी की स्थिति सुदृढ बनती है।

6.9 **कंपनी के हितधारियों के प्रति उत्तरदायी बने :** वे सभी, जिन्हें हम सेवाएं प्रदान करते हैं, वे जो हमारे ग्राहक हैं, जिनके बिना कंपनी व्यवसाय ही नहीं कर पाएगी, अंशधारी, जिनका हमारे व्यापार में महत्वपूर्ण हित है, कर्मचारी, कंपनी के कर्तव्य पालन करते रहने में ही जिनका हित निहित है, वेंडर, जो कंपनी को समय पर डिलीवरी देने में कंपनी की सहायता करते हैं और सोसायटी, जिसके प्रति कंपनी अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार है – कंपनी के हितधारी हैं। इसलिए हर समय यह स्मरण रखना आवश्यक है कि वे कंपनी के हितधारियों के प्रति उत्तरदायी हैं।

6.10 **अंतरंग व्यापार का निवारण :** बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी को सुरक्षित बनाए रखने के लिए अंतरंग व्यापार के निवारण के लिए आंतरिक प्रक्रिया और आचरण संहिता का पालन करेंगे।

6.11 **व्यापार के जोखिम की पहचान, शमन और प्रबंधन:** व्यापार की जोखिमों, जो कंपनी के प्रचालन अथवा कार्य क्षेत्र के इर्द-गिर्द बनी रहती हैं, की पहचान करने के लिए तथा ऐसे जोखिमों की व्यवस्था करने की कंपनी की व्यापक प्रक्रिया में सहायता करने के लिए कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे का अनुपालन करना

प्रत्येक का उत्तरदायित्व है ताकि कंपनी अपने व्यापक व्यापारिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सके।

6.12 कंपनी की संपतियों को संरक्षित रखें : बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन सम्पतियों, जिनमें भौतिक सम्पतियां, कंपनी के सूचना और बौद्धिक अधिकार सम्मिलित हैं, का संरक्षण करेंगे और उनका प्रयोग वे व्यक्तिगत लाभों के लिए नहीं करेंगे।

भाग – III

7.0 बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान

7.1 बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन के रूप में : वे बोर्ड और समितियों की बैठकों जिनके वे सदस्य हैं, में सक्रिय रूप से भाग लेने की घोषणा करेंगे।

7.2 बोर्ड सदस्य के रूप में

7.2.1 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कंपनी के कंपनी सचिव को अन्य बोर्ड स्थितियों में किसी परिवर्तन, अन्य व्यवसाय के साथ संबंध और अन्य घटनाओं/परिस्थितियों/दशाओं, जो बोर्ड/बोर्ड समिति को अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए उनकी सक्षमता को बाधित कर सकते हैं, अथवा बोर्ड के इस निर्णय पर प्रभाव डाल सकते हैं कि क्या वे स्टाक एक्सचेंज और डीपीई के दिशा-निर्देशों के साथ सूचीबद्ध करार की अपेक्षित स्वतंत्रता को पूरा करते हैं, के बारे में अवगत कराते रहने की घोषणा करेंगे।

7.2.2 यह घोषणा करेंगे कि बोर्ड के रुचि विमुक्त सदस्यों के पूर्व अनुमोदन के बिना वे हितों के स्पष्ट विरोध से बचेंगे। हित विरोध की स्थिति, ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो सकती है, जब किसी का कोई ऐसा व्यक्तिगत स्वार्थ हो, जिससे कंपनी के हितों के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न होती हो। उदाहरणस्वरूप, कुछ मामले इस प्रकार के हो सकते हैं:

संबंधित पार्टी लेन-देन: किसी लेन-देन अथवा कंपनी अथवा इसकी सहायक कंपनियों के साथ संबंध, जिनमें उनका कोई वित्तीय अथवा अन्य वैयक्तिक हित (प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष जैसेकि परिवार के सदस्य अथवा संबंधी अथवा अन्य व्यक्ति अथवा अन्य ऐसे संगठन के माध्यम से, जिससे वे सम्बद्ध हो) में शामिल होना।

बाह्य निदेशक पद का पदधारी: किसी अन्य कंपनी, जो कंपनी के व्यापार के साथ प्रतियोगिता रखती है, के बोर्ड में निदेशक के पद को स्वीकार करना।

परामर्शी/व्यवसाय/नियोजन: किसी भी गतिविधि में संलग्न होना (चाहे वह परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के स्वरूप की हों, या फिर व्यापार के कार्यान्वयन या रोजगार को स्वीकार करने से संबंधित हों), जोकि कंपनी के प्रति उनके कर्तव्यों/उत्तरदायित्वों को बाधित अथवा विरोध उत्पन्न कर सकती है। उनके साथ किसी भी रूप में किसी आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदाता अथवा कंपनी के किसी ग्राहक के साथ किसी निवेश में सम्मिलित नहीं होंगे अथवा स्वयं को उनसे असम्बद्ध रखेंगे।

व्यक्तिगत लाभ के लिए पद की स्थिति का उपयोग: वे व्यक्तिगत लाभों के लिए अपने पद की स्थिति का उपयोग नहीं करेंगे।

7.3 कार्य संचालन और नैतिक कर्त्तव्य संहिता का अनुपालन

7.3.1 कंपनी बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन को इस संहिता के सिद्धांतों को बनाए रखेंगे और इन्हें बढ़ावा देंगे।

संगठन का भविष्य तकनीकी और नैतिक कर्तव्यों, दोनों की उत्कृष्टता पर निर्भर करता है। केवल यही महत्वपूर्ण नहीं है कि बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन इस संहिता में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों का पालन करेंगे, बलकि उनमें से प्रत्येक अन्यों द्वारा भी इसके अनुपालन के लिए प्रेरित करेगा।

7.3.2 इस संहिता के उल्लंघन को इस संगठन के साथ सम्बद्धता को अनुपयुक्त माना जाएगा

विशेषज्ञों द्वारा नैतिक कर्तव्य संहिता का अनुपालन सामान्य एवं व्यापक रूप से एक स्वैचछिक मामला है। तथापि, यदि कोई बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन यदि इस संहिता का पालन नहीं करता तो बोर्ड द्वारा इस मामले की समीक्षा की जाएगी और इसका निर्णय अंतिम होगा। कंपनी को दोषी के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

7.4 विविध मुद्दे

7.4.1 संहिता को निरंतर अद्यतन करते रहना

इस संहिता की निरंतर समीक्षा की जाएगी और कानून में कोई परिवर्तन होने, कंपनी के दर्शन (नीति) संकल्पना, व्यापारिक योजनाओं, अथवा अन्य स्वरूप में परिवर्तन होने, जिसे बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जाए, के अनुरूप इसे अद्यतन किया जाता रहेगा और इस प्रकार के सभी संशोधन/परिवर्तन उसी तारीख से प्रवृत्त होंगे, जो उसमें निर्दिष्ट की जाए।

7.4.2 स्पष्टीकरण किससे प्राप्त किया जाए

बोर्ड का कोई सदस्य अथवा वरिष्ठ प्रबंधन, जिसे इस कार्य संचालन संहिता के बारे में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त करना अपेक्षित है, वरिष्ठ महाप्रबंधक (विधिक एवं संविदा इंजीनियरी)/कोई अधिकारी जो विशिष्ट रूप से निदेशक मंडल द्वारा पदनामित किया गया हो, से संपर्क करेगा।

भाग – IV

8.0 स्वतंत्र निदेशक के कर्तव्य – स्वतंत्र निदेशक निम्नलिखित कर्तव्यों का संवहन करेंगे:

8.1 वे उपयुक्त प्रेरण कार्य प्रारंभ करेंगे और नियमित रूप से अपने कौशल, ज्ञान और कंपनी के साथ घनिष्ठता को अद्तन करेंगे एवं उसमें नवीनता लाएंगे;

8.2 सूचना के संबंध में उपयुक्त स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे अथवा प्रवर्धन करेंगे और जहां कहीं आवश्यक होगा, उपर्युक्त विशेषज्ञता सलाह प्राप्त करेंगे और उसका पालन करेंगे तथा कंपनी के व्यय पर बाह्य विशेषज्ञों की राय प्राप्त करेंगे;

8.3 निदेशक मंडल और बोर्ड समितियों, जिसके कि वे सदस्य हों, की सभी बैठकों में उपस्थित होने के लिए प्रयास करेंगे;

8.4 बोर्ड की उन समितियों की बैठकों में रचनात्मक रूप से एवं सक्रिय रुप से भाग लेंगे, जिनमें वे अध्यक्ष अथवा सदस्य हैं;

8.5 कंपनी की आम सभा की बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रयास करेंगे;

8.6 जहां कहीं उन्हें कंपनी के संचालन के बारे में अथवा किसी प्रस्तावित कार्य के बारे में कोई चिंता हो, तो यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका समाधान बोर्ड द्वारा हो और किसी सीमा तक उनका समाधान न हो सकने की स्थिति में यह जोर दिया जाना चाहिए कि इन चिंताओं को बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज किया जाए;

8.7 कंपनी के बारे में और इसके बाह्य वातावरण के बारे में, जिसके अंतर्गत यह कार्य करती है, स्वयं को भलीभांति अवगत रखना;

8.8 अन्य प्रकार से उपयुक्त बोर्ड अथवा बोर्ड की समिति के कार्यकरण को अनुचित ढंग से बाधित नहीं करेंगे;

8.9 इस बात पर पर्याप्त ध्यान देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित पार्टी के साथ किए गए व्यवहारों को अनुमोदित करने से पूर्व पर्याप्त रूप से विचार-विमर्श हो और स्वयं को इस बात से आश्वस्त करें कि ऐसा करना कंपनी के हित में है;

8.10 इस बात का पता लगाना और सुनिश्चित करना कि कंपनी के पास पर्याप्त एवं कार्यात्मक सतर्कता संबंधी तंत्र विद्यमान है और यह सुनिश्चित करना कि ऐसे व्यक्ति, जो इस प्रकार के तंत्र का प्रयोग करता है, के हित इस प्रकार के उपयोग के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हों;

8.11 अनैतिक आचरण, वास्तविक अथवा संदिग्ध धोखा-धडी अथवा कंपनी के कार्य संचालन अथवा नैतिक कर्तव्य नीति के उल्लंघन से संबंधित रिपोर्ट;

8.12 अपने प्राधिकारों के भीतर कार्रवाई करना, कंपनी, अंशधारियों और इसके कर्मचारियों के वैध हितों की रक्षा करने में सहायता करना;

8.13 गोपनीय सूचना को प्रकट नहीं करना, जिसमें वाणिजयिक गुप्त सूचना, प्रौद्योगिकियों, विज्ञापनों और बिक्री संवर्धन योजनाओं, अप्रकाशित मूल्यों के बारे में संवेदनशील सूचनाएं शामिल हैं, जब तक ऐसा प्रकटन स्पष्ट रूप से बोर्ड द्वारा अनुमोदित न हो अथवा विधि द्वारा अपेक्षित न हो।